बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(पशुपालन)

कार्यालय हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर

निविदा

सर्व साधारण कि सूचित किया जाता है कि हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर के पशुओं को खिलाने हेतु सुखा चारा (1) गेहूँ भूसा (2) नेवारी कुट्टी वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए क्रय करने हेतु मोहर बन्द निविदा प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर 05:00 बजे अपराहन् तक कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा को अगले दिन 11:00 बजे पूर्वाह्न में स्थानीय क्रय समिति द्वारा प्रबंधक कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। निविदादाता या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।

1. अग्रधन के रूप में 1000/– (एक हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र डुमराँव के पदनाम में भुगतेय होगा।
2. निविदा के साथ पारदर्शी थैले में 200 ग्राम मुहर बन्द नमूना देना होगा, जिसके निविदादाता का नाम, पता एवं तिथि अंकित होनी चाहिए।
3. माल की आपूर्ति प्रक्षेत्र के गोदाम तक पहुँचाकर करना होगा तथा माल की तौलाई एवं उठाई का खर्च आपूर्त्तिकर्त्ता को वहन करना होगा।
4. निविदा में सभी कर एवं खर्च सन्निहित होना चाहिए।
5. माल नमूने के अनुसार नहीं होने पर माल आपूर्ति नहीं ली जायेगी। माल स्वीकृत दर से कम दर पर लेने का अधिकार क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा।
6. निविदा स्वीकृत होने पर चयनित निविदादाता को सूचना दी जायेगी। सूचना के आदेश निर्गत होने की तिथि से सात दिनों के अन्दर माल की आपूर्त्ति कर देनी होगी।
7. निविदादाता को सूचित किया जाता है कि निर्धारित समय के बाद निविदा नहीं ली जायेगी।

8. नऐ वित्तीय नियमावली के अनुसार विपत्र की राशि में से जो भी कर होगा उसे काटकर ही भुगतान किया जायेगा।
9. निविदा तकनीकी एवं वित्तीय दो भाग में अलग–अलग लिफाफे में ली जाएगी। तकनीकी भाग में निविदा की योग्यता से सम्बन्धित अभिलेख होंगे एवं वित्तीय भाग में दर का विवरण। केवल उसी निविदाओं के वित्तीय भाग को खोला जाएगा जो तकनीकी रूप से योग्य पायीं जायेंगी।
10. संवेदक का निबंधन आपूर्ति हेतु निबंधन विभाग निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला स्तर द्वारा होना आवश्यक है।
11. निविदा के साथ आयकर रिटर्न पिछले वर्ष का देना आवश्यक होगा।
12. निविदादाता को जी.एस.टी. के तहत निबंधन एवं अद्यतन देयता सम्बन्धित स्वच्छता प्रमाण–पत्र देना होगा।
13. निविदादाता को किसी भी फौजदारी मुकदमा में संलिप्त अथवा सजायाफ्ता एवं काली सूची में दर्ज नहीं रहने से सम्बन्धित एक एफिडेविट नॉटरी द्वारा देना होगा।
14. निविदादाता को निविदा के साथ आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा।
15. पिछले पाँच वर्षों में किसी भी दो वर्ष का चारा आपूर्ति का अनुभव प्रमाण–पत्र देना होगा।
16. आपूर्त्ति के बाद भुगतान हेतु दो प्रति में विपत्र प्रस्तुत करना होगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय निविदा को रद्द करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रहेगा।
18. निर्धारित समय के अन्दर आपूर्ति नहीं होने पर अग्रधन की राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

उक्त जानकारी एवं शर्त्तों के लिए वेबसाईट – ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

30.5.19

(डा. मो. फातेहुज्जमाँ)
प्रबंधक
हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र
डुमराँव, बक्सर।